

कार्यालय,  
सचिव, प्राधिकारिक शिक्षा परिषद्,  
चत्तूर प्रदेश लखनऊ।  
लखनऊ-प्रादिप/सम्बुद्धा/2013/ ५७०६-६२२८ लखनऊपरिषद् १५-०५-२०१३  
— कार्यालय ज्ञाप —

आखिस मारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा गोपित सत्र 2013-14 हेतु किसी स्तरीय संस्थाओं की क्षितीय पाली में डिप्लोमा पाद्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदन के उपरांत प्राधिकारिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बुद्धा प्राप्त करने हेतु अध्ययन, प्राधिकारिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक ७-५-२०१३ को बैठक संपन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार संस्थाओं को सम्बुद्धा सत्र 2013-14 तक प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ किया गया है :-


“संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा एक राष्ट्रीय पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बुद्धा हेतु प्राधिकारिक शिक्षा परिषद् ७०प्र० लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत तभी तक उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार तभी ही एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य किया जाना नहीं गया है। १०आई०सी०टी०इ० की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी छात्रों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया जाया था तथा तात्परता भी कोई तथ्य किया जाना नहीं गया है, और परिषद की निरीक्षण एवं सम्बुद्धा समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के नामकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बुद्धा स्वतः समाचार भागी जाएगी, और सोसाइटी के विषय क्षिप्र कार्यवाही की जाएगी, जिसके कारण संस्था की संचालक सोसाइटी तथ्य उत्तरवाही होगी।”

संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित संस्था को प्राधिकारिक शिक्षा परिषद्, ७०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2013-14 हेतु उपरोक्त शर्त के साथ-साथ निम्नाकित शर्तों के अधीन सम्बुद्धा पिस्तार प्रदान किया जाता है ।

#### सम्बुद्धा हेतु शर्तें

- ✓ संस्था १०आई०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राधिकारिक शिक्षा परिषद् एकट १९६२ तथा प्राधिकारिक शिक्षा परिषद् विनियमवाली-१९९२ तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीन वर्षीय पाद्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवाही पाद्यक्रम सहित) हेतु रु० २८,०००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाद्यक्रमों हेतु रु० २०,००० शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनावेदन प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2013-14 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो कीस की भवीतता दरै लागू होगी।
- ✓ संस्था को [७०प्र० प्राधिकारिक शिक्षा समितियां तथा उष समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना ] विनियमवाली-२००० की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रबोध परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रबोध दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रबोध की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आ०३००८००१००५० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस संबंध में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा ना. न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

  
(आर० के० वर्मी)


~~सचिव~~ सचिव  
तददिनांक— १५-०५-२०१३

पृ०सं०- प्राशिप/२०१३/ ६२७९-८३

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. निदेशक, आ०आ००८००१००५० कानपुर।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाध्यापक/फटडाक, ए०प्र० कै.ज्ञ.मोटी इंजी० कॉलेज एप्पल रोड,

ओरक जा अस्पताल, मायना, गोप्या बाजू को इस आशय से कि संस्था की सोसाइटी/द्रस्ट के संचालक/प्रबंधक को उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  
(आर० के० वर्मी)

सचिव

पंडित - प्र० डिर० ८८ / २५१८८४२८८ / २०१३ / ५७०१-६९७८ प्रिकाक १५-५-२०

१३.	४०८ी०८० कालेज आफ इंजी० एण्ड मैनेजमेंट, १७वा कि.मी., आगरा-कानपुर रोड, ग्राम सुरहेंरा, एतमादपुर, आगरा।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(आटो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१४.	सेठ विश्वमर्ननाथ इस्टी० आफ इंजी० एण्ड टेक्ना., १९वा कि.मी. डेनियल चुड रुड स्केदाबाद, बाराबंकी।	इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१५.	झान भारती इस्टी० आफ टेक्नालोजी, झाननगर, उन्नाइट अन्नल चुशाना सिटी, परतापुर बाईपास रुड नं०८	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१६.	८००३०४०८०८० इंजी० कालेज, कसेल बक्सर, एन०एच०-२४ बरेली- लखनऊ रोड, निकट करीदारु, बरेली।	इलेक्ट्रानिक्स इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१७.	पशुधर इस्टी० आफ इंजी० एण्ड टेक्ना०, एन०एच०-२४ बरेली- लखनऊ रोड, निकट करीदारु, बरेली।	इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१८.	छंगानपति इस्टी० आफ टेक्नालोजी, श्री गनपति नालंज पार्क, अंडोजिट जिन्दल पाइप लिमि०, एन०एच०-२४ जिन्दलनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
१९.	ठाठको०एन०मोदी इंजी० कालेज, हापुड रोड निकट और्ख का अस्पताल, मोदीनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२०.	पी०को० इस्टी० आफ टेक्नालोजी एण्ड मैने०, अलीगढ़ रोड, बिरहाना, राया, मथुरा।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२१.	इनफिनिटी इस्टी० आफ टेक्नालोजी, गांव टिकरी परगाना अरैल, तह० बारा इलाहाबाद।	इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२२.	मोदीनगर इस्टी० आफ टेक्नालोजी, ३ वा कि.मी. निवारी रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२३.	शिवदान सिंह इस्टी० आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेंट, १०वा कि.मी. अलीगढ़- मथुरा रोड, अलीगढ़।	इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२४.	आई०ए०ए०आर० कालेज आफ इंजी०, १२वा कि.मी. मेरठ-बागपत रोड, पचिलखुर्द मेरठ।	इलेक्ट्रिकल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२५.	श्री कृष्ण कालेज आफ इंजी०, सिंधावली अहीर, बागपत।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(मेटी०)	६० ६०	०३ वर्षीय
२६.	नन्दनीनगर टेक्निकल कैम्पस, नवाबगंज, गोण्डा	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय
२७.	सामर इस्टी० आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेंट, ११वा कि.मी. स्टोन फैजाबाद रोड, बाराबंकी।	सिविल इंजी० मैकेनिकल इंजी०(प्रोडो)	६० ६०	०३ वर्षीय

2hm